संख्या-480/2017/981/22-2-2017-17(205)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 29 जून, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जाजू पुत्र श्री हकीमुद्दीन निवासी जनपद-गाजियाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15999-16004/प्रोबेशन-3(एम-02-05-2017) दिनांक-18-05-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जाजू पुत्र श्री हकीमुद्दीन, निवासी-ग्राम-जलालपुर, थाना-बिलौनी, जनपद-बागपत हाल पता-इन्दिरापुरी चौकी इण्डस्ट्रियल ऐरिया दो नम्बर के पास, थाना-लौनी, जिला गाजियाबाद का रहने वाला है। बन्दी ने सहअभियुक्त इस्लामुद्दीन के पिता नजीर की हत्या की रंजिश में बदला लेने के लिये दिनांक 26.03.1974 को 14 अन्य साथियों के साथ मिलकर बल्लम, फरसा, गड़ासा एवं कट्टा से सफी मोहम्मद की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-ए 463/1974 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 148 के अन्तर्गत मा0 सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 27.02.1975 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07.03.1979 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.01.2017 तक 14 वर्ष 00 माह 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 03 माह 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 12 सहअभियुक्त मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त, 02 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, मृतक परिवार में भय व्याप्त होने की आख्या अंकित की गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने सहअभियुक्त इस्लामुद्दीन के पिता नजीर की हत्या का बदला लेने के लिये दिनांक 26.03.1974 को 14 अन्य साथियों के साथ मिलकर बल्लम, फरसा, गड़ासा एवं कट्टा से सफी मोहम्मद की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जाजू पुत्र श्री हकीमुद्दीन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी जाजू (बन्दी संख्या-13850) पुत्र श्री हकीमुद्दीन, निवासी-ग्राम-जलालपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-480/2017/981(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-480/2017/981/22-2-2017-17(205)/2017

दिनांक 29 जून, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जाजू (बन्दी संख्या[1]3850) पुत्र श्री हकीमुद्दीन, निवासी-ग्राम-जलालपुर, थाना-बिलौनी, जनपद-बागपत हाल पता-इन्दिरापुरी चौकी इण्डस्ट्रियल ऐरिया दो नम्बर के पास, थाना-लौनी, जिला गाजियाबाद का रहने वाला है। बन्दी ने सहअभियुक्त इस्लामुद्दीन के पिता नजीर की हत्या की रंजिश में बदला लेने के लिये दिनांक 26.03.1974 को 14 अन्य साथियों के साथ मिलकर बल्लम, फरसा, गड़ासा एवं कट्टा से सफी मोहम्मद की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-ए 463/1974 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 148 के अन्तर्गत मा0 सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 27.02.1975 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07.03.1979 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.01.2017 तक 14 वर्ष 00 माह 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 03 माह 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 12 सहअभियुक्त मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त, 02 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, मृतक परिवार में भय व्याप्त होने की आख्या अंकित की गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने सहअभियुक्त इस्लामुद्दीन के पिता नजीर की हत्या का बदला लेने के लिये दिनांक 26.03.1974 को 14 अन्य साथियों के साथ मिलकर बल्लम, फरसा, गड़ासा एवं कट्टा से सफी मोहम्मद की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जाजू पुत्र श्री हकीमुद्दीन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in